उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687	GSTN: 09AAACU8823E1Z9

कमरा नं0 320, तृतीय तल,
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग,
लखनऊ-226001
रैक्स संख्या – 8320

Room No. 320,
IIIrd Floor, Shakti Bhawan,
14-Ashok Marg, Lucknow-226001
E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

दिशा–निर्देश: 11/उ0म0प्र0 (टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2018 दिनांक 20.09.2018

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0

मुख्य अभियन्ता (डी0 एण्ड पी0)/765 केवी/
सी0 एण्ड सी0/सी0एम0यू0डी0 जानपद (i)/(ii)
पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0
लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।

विषय:– GST-TDS से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या 50/2018–Central Tax के अनुसार दिनांक 01.10.2018 से GST-TDS के प्रावधान लागू होंगे, अतः दिनांक 01.10.2018 से किये जाने वाले समस्त भुगतानो पर प्रावधान अनुसार GST-TDS काटकर शासकीय खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

प्रावधान अनुसार ऐसे प्रकरण जहां विक्रेता/सेवा प्रदाताओं/ठेकेदारो की अनुबंध राशि रू0 2.50 लाख से अधिक है, दिनांक 01.10.2018 के बाद उनके प्रत्येक भुगतान अथवा लेखो में प्रवृष्टि (जो पहले हो) पर 2% GST-TDS (1% CGST एवं 1% UP-SGST अथवा 2% IGST जो लागू हो) काटना अनिवार्य है। ज्ञात हो GST-TDS दिनांक 01.10.2018 के बाद किये जाने वाले भुगतानो पर काटा जायेगा अतः इसका बीजक के दिनांक से कोई सम्बन्ध नही है।

GST-TDS सिर्फ पंजीकृत विक्रेता/सेवा प्रदाताओं के बीजको के भुगतान के समय काटा जायेगा। अपंजीकृत विक्रेता/सेवा प्रदाताओं अथवा ऐसे विक्रेता/सेवा प्रदाताओं जिन पर Reverse Charge Machanism लागू होता है, उनके बीजको के भुगतान के समय GST-TDS नही काटा जायेगा।

ज्ञात हो कि रू0 2.50 लाख रूपये की सीमा प्रति अनुबंध है न कि प्रति वर्ष उदाहरण के तौर पर किसी एक कार्यदायी संस्था से एक वित्तीय वर्ष में रू0 01 लाख के 4 अनुबंध किये जाते है, ऐसी स्थिति में भुगतान राशि भले ही रू0 2.50 लाख की सीमा को पार करती है परन्तु प्रति अनुबंध की राशि रू0 2.50 लाख से कम है, अतः इस स्थिति में GST-TDS नही काटा जायेगा।

2% GST-TDS बीजक में GST लगाने से पूर्व की राशि (Gross Value) पर निम्न प्रकार से काटा जायेगा:–

Gross Value of Goods/Services/or Both (Including all incidental expenses but before GST)	A
CGST/SGST/IGST	B
Total Value of Invoice	A+B
GST-TDS to be deducted on Value 'A'	

नियमानुसार GST-TDS की राशि को अगले माह के 10 तारीख तक सरकार के खाते में जमा करते हुए रिटर्न फाइल करना होगा। समयवार राशि जमा न करने पर 18% ब्याज देय होगा। तदनुसार इकाईयों अगले माह की 5 तारीख तक TDS राशि का भुगतान सरकार के खाते में पृथक चालान के द्वारा कराना सुनिश्चित करें।

राशि जमा करने की तिथि के 5 दिन के भीतर विक्रेता/सेवा प्रदाताओं/ठेकेदारो को TDS Certificate जारी करना होगा। समय सीमा के भीतर TDS Certificate जारी न करने पर 100 रूपये प्रतिदिन विलम्ब शुल्क देय होगा। TDS Certificate जारी करने की प्रकिया पर शासकीय स्तर से स्पष्टीकरण अभी उपलब्ध नही है, अतः प्रकिया का स्पष्टीकरण शासकीय स्तर से उपलब्ध होते ही इकाईयों को ससमय सूचित कर दिया जायेगा।

चूंकि रिटर्न केन्द्रीय स्तर पर 10 तारीख तक दाखिल किया जाना अपरिहार्य है, अतः GST-TDS नियमो का समयवार अनुपालन करने के लिए इकाईयां परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से GST-TDS से सम्बन्धित सूचना निम्न प्रारूप में अगले माह की 5 तारीख तक मुख्यालय स्थित GST Cell को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Sl. No	GSTIN of the Deductee	Trade Name	Amount paid to the Deductee on which tax is deducted	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Total

भवदीय,

(ए0 के0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

दिशा–निर्देश: 11/उ0म0प्र0 (टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।

2– निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/वित्त/आपरेशन/कार्य एवं परि0/एस0एल0डी0सी/वाणिज्य एवं नियोजन उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/ गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।

3– महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा) उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

4– उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/आगरा।

5– उप महाप्रबन्धक (निधि)/मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारेषण मुख्यालय), उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

6– अधिशाषी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0 के0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)